

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 582]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2018—आश्विन 30, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2018

राज्य सरकार द्वारा मंत्री-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 80 दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 में अनुमोदन के क्रम में उक्तानुसार दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 एवं दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 को परिपत्र जारी किये गये हैं।

Price Deficit Payment Scheme (PDPS) योजना में भारत सरकार द्वारा PDPS आपरेशनल गार्डलाईन्स अनुसार मॉडल दरों की गणना के लिए PDPS/ (फ्लैट भावांतर भुगतान योजना) के लिये निम्न राज्य अधिसूचित किये जाते हैं।

| क्र. | फसल | भावांतर भुगतान योजना के लिए विक्रय की अवधि | मंडियों की माडल (Wholesale) विक्रय दर गणना हेतु म. प्र. के अलावा नियत दो अन्य राज्य |
|------|---------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | सोयाबीन | 20 अक्टूबर से 19 जनवरी तक | महाराष्ट्र, राजस्थान |
| 2. | मक्का | 20 अक्टूबर से 19 जनवरी तक | कर्नाटक, महाराष्ट्र |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव।